तथा (2) केन्द्र से सहायता पाने वाली योजना।

पहले वर्ग के अन्तर्गत हरिजनो के लिए कोई स्वतन्त्र आवास योजना नहीं है, परन्तु गन्दे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की रहने सहने और काम करने की स्थिति में सुधार की मिली जुली योजना है। इस मिली जुली योजना में निम्नलिखित दो योजनाएं शामिल हैं :-

(1) मेहतरो और संमार्जकों, टेनर्स और फ्लेयर्स के लिए मकानों के निर्माण के लिए उपदान; तथा।

(2) अनुसूचित जातियों के उन लोगो के लिए गृह-स्थलो की व्यवस्था, जो (1) गंदे व्यवसायों में लगे है अथवा (2) भूमिहीन मजदूर है।

उक्त मिली जुली योजना के लिए राज्य सरकारों को शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। पिछले तीन वर्षो में (1968-69 से 1970-71 तक) प्रत्येक राज्य को दी गई केन्द्रीय सहायता की धन राशियां और प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्य सभा पटल पर रखे गए विवरण-I में दिये गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71]

इन योजनाओं पर, जिनमें राज्य क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजनाएं शामिल हैं, हुआ खर्च 1968-69 तक केन्द्रीय और राज्य सरकारों को 60:40 आधार पर बांटा जाता था। वर्ष 1969-70 से राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है।

1968-69 में अनुसूचित जातियों के लिए आवास योजना के सम्बन्ध में किया गया खर्च तथा प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्य सभा पलट पर रखा गये विवरण-II में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71] 1969-70 और 1970-71 के वर्षों में इस योजना के लिए किए गए आवंटन सभा पटल पर रखे गए विवरण-III में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा दिया गया। देखिये संख्या** LT-589/71]

(घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अधीन आवास के लिए केन्द्रीय सहायता की कोई विशिष्ट राशि नहीं दी गई है, क्योंकि यह मिली जुली योजना है। राज्य क्षेत्र के अधीन 1968-69 के दौरान कमियों के कारण अनुबन्ध दो मे दिए गए है। 1969-70 तथा 1970-71 के वर्षों के सम्बन्ध में जानकारी अब तक उपलब्ध नही है।

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता

3722. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत सयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा भारत को कितनी सहायता दी गई है;

(ख) उक्त राशि को किन किन कार्यक्रमों पर खर्च किया गया ;

(ग) प्रत्येक राज्य को उक्त सहायता का किस आधार पर नियतन किया जाना है; और

(घ) मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की सहायता उपकरणों और प्रभरण के रूप में होती है। 1970-71 में भारत के लिए यह 75 लाख, 81 हजार डालर की थी, जिनका उपयोग निम्नलिखित वर्गों के अधीन कार्यक्रमों/परियोजनाओं में किया जाना था

	अमरीकी डालर
(1) स्वास्थ्य सेवाएं	2, 296, 000
(2) ग्रामीण जल प्रदाय	1, 778, 000
(3) प्रयोगात्मक पोषाहार	786, 000
(4) बच्चों के लिए खाद्य मिश्रण	100, 000
(5) दूध अनुरक्षण	1, 500, 000
(6) परिवार और बाल कल्याण	171,000
(7) विज्ञान की शिक्षा	850,000
(8) परियोजना बनाना : शहरी क्षेत्रों में बच्चों और युवकों के लिए समेकित सेवाएं	100,000
जोड़ :	7, 581,000

(ग) और (घ). सहायता राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती है, बल्कि वह विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित अनुमोदित कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए होती है ।

Bridge over River Subernarekha, District Balasore (Orissa)

3723. SHRI ARJUN SETHI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

The progress made so far for the construction of a bridge over the river Subernarekha, District Balasore, Orissa ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : The survey work for the bridge and the selection of the site have been completed ; the estimate prepared by the Government of Orissa is being examined for accord of technical approval and financial sanction of Government of India.

Profits and Dividends Declared by Mr. Pure Drinks (Pvt.) Ltd.

3724. SHRI P. NARASIMHA REDDY : Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state the profits and dividends made/declared by M/s. Pure Drinks (Private) Limited, manufacturers of Coca-Cola in India, during the last 3 years, year-wise ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY): According to the information contained in the annual accounts of M/s. Pure Drinks (Pvt.) Ltd., the profits made and dividends declared by the company during the three years ended 31.10.67, 31.10.68 and 31.10.69 were as under :—

(Rs. lakhs)

	Year Ended		
	31.10.67	31.10.68	31.10.69
Profits before tax	29.7	60.9	83.0
Profits after tax	8.4	18.9	27.7
Dividend declared	1.3	2.5	2.5

Registration of Companies under the Companies Act, 1956

3725. SHRI S. M. KRISHNA :
SHRI RAMSEKHAR PRASAD SINGH :

Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of companies registered under the Companies Act, 1956 upto the end of March, 1971 (State-wise) ;

(b) the number of Companies whose applications for registration are pending ; and

(c) the number of Companies which were registered during the year 1970-71 ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATHA REDDY) :